सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी श्री केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 01/90/2018

1. प्रेमदेवी पत्नी मोतीलाल जाति जागा निवासी श्यालूता तहसील राजगढ जिला अलवर

..........वादीगण

बनाम्

1. रामेश्वर पुत्र रामप्रताप जाति गुर्जर
2. मोतीलाल पुत्र रामप्रताप जाति गुर्जर निवासीयान श्यालूता तहसील राजगढ जिला अलवर

..........प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188

उपस्थित : 1. श्री किशनलाल वर्मा एड0–वादी

निर्णय **दिनांक 23.03.2021**

1. आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1349/2364/0.17, 1350/0.16 है0 वाके ग्राम श्यालूता तहसील राजगढ में स्थित है। उपरोक्त आराजी वादीनी की कब्जे काश्त की आराजी है। वादीनी द्वारा अपनी उपरोक्त आराजी की सुरक्षा हेतु चारो ओर लोहे के तार लगा रखे थे, जिसे प्रतिवादीगण जो कि प्रभावशाली व्यक्ति है, के द्वारा वादीनी को उसकी [illegible] तथा लोहे के पिलर को ठीक नही करने देने व वादीनी को उपरोक्त आराजी [illegible] जाहिर किया। अन्त में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि वो वादीनी की उपरोक्त आराजी [illegible] वादीनी को जबरन बेदखल न करके स्वयं कब्जा न करें, तथा वादीनी की आराजी की सुरक्षा हेतु तार एवं पिलर व

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.06 18:18:21 IST
Reason: SelfAttested

लोहे की जाली लगा रखी है, को ठीक करने मे कोई रूकावट मजाहमत उत्पन्न नही करें। अन्त में दावा वादी स्वीकार करने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण बाद सूचना तामिल उपस्थित न्यायालय नही आये। उनकी तरफ से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में शपथ–पत्र स्वयं वादी का पेश किया गया। साक्ष्य शपथ–पत्र में उनके द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि की व दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी सम्वत 2069–75 खाता संख्या 212 वाके ग्राम श्यालूता आदि पेश की।

3. बहस वकील वादी एकतरफा में सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान वकील वादी के द्वारा वाद पत्र मे अंकित तथ्यों को दौहराते हुये उल्लेख किया गया कि वादीनी के आराजी खसरा नम्बर 1349/2364/0.17, 1350/0.16 है0 वाके ग्राम श्यालूता तहसील राजगढ में स्थित है। उपरोक्त आराजी वादीनी की कब्जे काश्त की आराजी है। वादीनी द्वारा अपनी उपरोक्त आराजी की सुरक्षा हेतु चारो ओर लोहे के तार लगा रखे थे, जिसे प्रतिवादीगण जो कि प्रभावशाली व्यक्ति है, के द्वारा वादीनी को उसकी आराजी के चारो ओर लगे तार तथा लोहे के पिलर को ठीक नही करने देने व वादीनी को उपरोक्त आराजी से बेदखल करने का इरादा जाहिर किया। अन्त में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि वो वादीनी की उपरोक्त आराजी से वादीनी को जबरन बेदखल न करके स्वयं कब्जा न करें, तथा वादीनी की आराजी की सुरक्षा हेतु तार एवं पिलर व लोहे की जाली लगा रखी है, को ठीक करने मे कोई रूकावट मजाहमत उत्पन्न नही करें। अन्त में दावा वादी स्वीकार करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.06 18:18:21 IST
Reason: SelfAttested

4. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अभिवचन किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् तीन महत्वपूर्ण शर्ते इस प्रकार है कि–

(अ) वादी का विवादित आराजी पर स्वामित्व होना चाहिए। विवादित आराजी के संबंध में वादी ने न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है उस आराजी पर वादी का स्वामित्व होना अति आवश्यक है।

5. प्रकरण में वर्णित आराजी वादी की मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2069–75 खातेदारी की आराजी है तथा मुताबिक मौका कमिश्नर नायब तहसीलदार टहला की मौका रिपोर्ट दिनांक 04.09.2018 वादी उक्त आराजी पर कब्जे काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई स्वामित्व और कब्जा नही है। अतः शर्त संख्या–1 वादी के पक्ष में स्पष्ट रूप से साबित होने से पूर्ण प्रतीत होती है।

(ब) वादी का विवादित आराजी के संबंध में सुविधा का संतुलन होना आवश्यक है। अर्थात् वादी का संबंधित आराजी पर वैध कब्जा होना चाहिए।

6. प्रकरण में वर्णित आराजी वादी की मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2069–75 खातेदारी की आराजी है तथा मुताबिक मौका कमिश्नर नायब तहसीलदार टहला की मौका रिपोर्ट दिनांक 04.09.2018 वादी उक्त आराजी पर कब्जे काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई स्वामित्व और कब्जा नही है। अतः शर्त संख्या–2 व वादी के पक्ष में स्पष्ट रूप से साबित होना प्रतीत होती है।

(स) प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही करने पर वादी को अपूरणीय क्षति सम्भावित है। अर्थात् आराजी मुतनाजा पर अगर वादी को दीगर व्यक्ति द्वारा आराजी मुतनाजा के उपभोग एवं आमद–रफत में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो वादी को अपूरणीय क्षति होना सम्भावित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.06 18:18:21 IST
Reason: SelfAttested

7. उक्त मुतनाजा आराजी वादी की कब्जे काश्त की आराजी है तथा वादी उक्त आराजी पर कब्जा काश्त करता चला आर रहा है प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई स्वामित्व नही है। उक्त विचाराधीन प्रकरण में वादी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का दावा किया गया है। जिसमें वादी का अनुतोष स्वीकार करना उचित प्रतीत

होता है। अतः सुस्थापित नियम की सभी शर्ते स्पष्ट रूप से वादी के पक्ष में साबित होने पर दावा वादी स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खसरा संख्या हाल आराजी खसरा नम्बर 1349/2364/0.17 है0, 1350/0.16 है0 वाके ग्राम श्यालूता तहसील राजगढ डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो वादी की उक्त सन्दर्भित आराजी से वादी को जबरन बेदखल नही करें, ना ही स्वयं कब्जा करें तथा वादी की उक्त आराजी की सुरक्षा के लिए जो तार बन्दी, पीलर एवं लोहे की जाली लगा रखी है को ठीक करने, आराजी की सुरक्षा हेतु चारदीवारी करने व कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की रूकावट मजाहमत, झगडा फसाद उत्पन्न नही करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.06 18:18:21 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी श्री केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या	किस्म वाद	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
1/90/2018	दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा	13.07.2018	23.03.2021

1. प्रेमदेवी पत्नी मोतीलाल जाति जागा निवासी श्यालूता तहसील राजगढ जिला अलवर

..........वादीगण

बनाम्

1 रामेश्वर पुत्र रामप्रताप जाति गुर्जर
2. मोतीलाल पुत्र रामप्रताप जाति गुर्जर निवासीयान श्यालूता तहसील राजगढ जिला अलवर

..........प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188
उपस्थित : 1. श्री किशनलाल वर्मा एड0– वादी

पर्चा डिक्री **दिनांक 23.03.2021**

दावा वादी स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खसरा संख्या हाल आराजी खसरा नम्बर 1349/2364/0.17 है0, 1350/0.16 है0 वाके ग्राम श्यालूता तहसील राजगढ डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो वादी की उक्त सन्दर्भित आराजी से वादी को जबरन बेदखल नही करें, ना ही स्वयं कब्जा करें तथा वादी की उक्त आराजी की सुरक्षा के लिए जो तार बन्दी, पीलर एवं लोहे की जाली लगा रखी है को ठीक करने, आराजी की सुरक्षा हेतु चारदीवारी करने व कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की रु[illegible]ाहमत, झगडा फसाद उत्पन्न नही करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.03.2021 को तैयार की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.06 18:18:21 IST
Reason: SelfAttested

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
राजगढ (अलवर)